बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक...../2021

अधिसूचना

संख्या 15/एम 1–09/2014..... बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम 2018 की धारा 21 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के कार्यान्वयन हेतु एतद् द्वारा निम्नांकित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् नियमावली–2020 कही जा सकेगी।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **परिषद् के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा निबंधन एवं शर्तें** ।–

(1) परिषद् के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के समतुल्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होंगे।

(2) परिषद् के मनोनीत सदस्यों को परिषद् के प्रत्येक बैठक के लिए रू 5,000 (पॉच हजार) प्रति बैठक मानदेय का भुगतान किया जाएगा एवं उन्हें आवागमन हेतु यात्रा–भत्ता देय होगा।

(3) राज्य सरकार में पूर्णकालिक आधिकारिक पद पर आसीन मनोनीत सदस्य राज्य सरकार में उनके पद के पंक्ति के लिए अनुमान्य नियमानुकूल यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता अपने मूल संगठन अथवा निकाय से प्राप्त कर सकेंगे।

3. **उपाध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कृत्य** ।– (1) परिषद् के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(2) परिषद् के उपाध्यक्ष विशिष्ट रूप में उन शक्तियों का अनुप्रयोग कर सकेंगे जो अध्यक्ष द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन कर उन्हें सौंपा गया हो।

4. **सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक की सेवा निबंधन एवं शर्त्ते**।–

(1) सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा सम्वर्ग के उच्च शिक्षा के प्रभारी सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक को बिहार राज्य में उनके पद की पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ अनुमान्य होगी।

5. **सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक की शक्तियाँ एवं कृत्य ।–**

(1) सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा –

(क) परिषद् के कार्यों एवं घटनाओं के सम्यक् प्रशासन तथा परिषद् की योजनाओं तथा बजट का सूत्रण।

(ख) सभी कर्मियों के कर्तव्यों को विहित करना।

(ग) सभी कर्मियों के शर्त एवं आचरण पर पूर्ण अनुशासनिक एवं अनुश्रवण की शक्ति।

(घ) परिषद् के सभी गतिविधियों का संचालन/सामान्य अनुश्रवण एवं समन्वय एवं परिषद् के व्ययों में नियमानुसार वित्तीय अनुशासन का पालन।

(ड़) परिषद् की ओर से सभी प्रकार के अनुबंध, कृत्य एवं अन्य साधनों/उपकरणों का कियान्वयन।

(च) परिषद् के सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक की वित्तीय शक्तियाँ राज्य सरकार में उनके पद के पंक्ति के पदाधिकारियों के समतुल्य होंगी। आवश्यकतानुसार एवं नियमानुकूल प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

(2). सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक लिखित रूप में, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, अपनी शक्तियों को परिषद् में किसी कनीय पदाधिकारी/पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3). सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक परिषद् की बैठक हेतु सूचना निर्गत करने से पूर्व बैठक की कार्यवाही का एजेण्डा तैयार कर उस पर अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगा। वह बैठक की कार्यवाही के संधारण एवं नियमानुकूल अनुपालन के लिए भी पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

06. **अवशिष्ट मामले।** – ऐसे मामले में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है; शिक्षा विभाग द्वारा स्वयं या संबंधित विभाग के परामर्श से स्पष्ट किये जायेंगें।

07. **कठिनाई का निराकरण** ।– शिक्षा विभाग, समय–समय पर, ऐसा सामान्य या विशेष निदेश विधि विभाग या संबंधित विभाग के परामर्श के पश्चात् जारी कर

सकेगा, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

08. **निरसन एवं व्यावृति।–**

(1) इस विषय पर पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन ऐसा कार्य का कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(असंगबा चुबा आओ)
सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–09/2014 पटना, दिनांक /2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/–
(असंगबा चुबा आओ)
सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–09/2014 – 323 पटना, दिनांक 08.02. /2021

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्, बुद्ध मार्ग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक–सह–सचिव, बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्, बुद्ध मार्ग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा एवं प्रशाखा पदाधिकारी 15, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करें।

(असंगबा चुबा आओ)
सचिव

Government of Bihar
Education Department

Notification

Patna, dated 08.02.2021

No.15/M 1-09/2014..323.....In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 21 of the Bihar State Higher Education Council Act, 2018, the Governor of Bihar hereby makes the following rules :-

1. **Short title and commencement - (1)** These rules may be called the Bihar State Higher Education Council Rules, 2020.

   (2) It shall come into force with immediate effect.

2. **Terms and Conditions of service of Vice-Chairman and nominated members :-**

   (1) A person who is appointed as Vice-Chairman of the Council shall be paid such pay, allowances and other facilities as admissible to the Vice-Chancellor of a University in the State of Bihar from time to time.

   (2) The nominated members shall be paid an honorarium of Rs. 5000/- (Five thousand) and admissible travelling allowance.

   (3) Where nominated members are holding full-time official positions, they may draw traveling allowance and daily allowance from the organization or body in which they hold a fulltime official post in accordance with the rules in force.

3. **Powers and functions of the Vice-Chairman :-**

   (1) The Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Council in the absence of the Chairman.

   (2) The Vice-Chairman shall exercise the powers which may be specifically delegated to him by the Chairman.

4. **Terms and conditions of service of the Member-Secretary-cum-State Project Director :-**

(1) The member Secretary-Cum- State Project Director shall be a person of Indian Administrative Service cadre, who is incharge Secretary/Special Secretary/Additional Secretary of Higher Education. He shall be appointed by the State Government.

(2) The Member-Secretary-cum-State Project Director shall be entitled to avail all allowances and other facilities admissible to an officer of the same rank in the State of Bihar.

5. Powers and functions of the Member-Secretary-cum-State Project Director :-

1. Member Secretary-cum-State Project Director shall be the Chief Executive Officer and shall be responsible for the following :-

(a) The proper administration of the affairs and events of the Council along with drafting of budget and schemes of the Council.

(b) Prescribing the duties of its employees;

(c) Overall supervision and disciplinary control over the functioning and conduct of its employees;

(d) Co-ordinating and exercising overall general supervision on all the activities and administrative control over expenditure of the Council as per rules.

(e) Executing all contracts, deeds and other instruments on behalf of the council; and

(f) The financial powers of SPD-cum-Secretary of SHEC shall be equivalent to the rank of an officer in the State Government. In financial matters SPD-cum-Secretary shall take approval from the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/State Higher Education Council as per rules and requirement.

2. The Member-Secretary-cum-State Project Director may, in writing, delegate powers as deemed fit to any subordinate officer/officers of the Council.

3. The Member-Secretary-cum-State Project Director shall be responsible for preparing the agenda for meetings of the Council and shall take approval from the Chairman before notices of the meetings of the Council are issued. He shall also be responsible for keeping or causing to be kept, minutes of the proceedings as well as compliance of the decisions of meetings of the Council.

06. **Residual Matters** – Such matters which are not specially covered under these rules, the Education Department or with the advice of the Department concerned, shall explain the status.

07. **Removal of difficulties** – Education Department, from time to time, may issue such general or specific directives with advice from Law Department or other department concerned, which is deemed fit to be issued to address the difficulties arising in the implementation of the provisions of the Rules.

08. **Repeal & Saving –**

(1) All the resolutions and directives issued on the subject hereby stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules/Order/Resolution shall be deemed to have been done or taken under these Rules as if these rules were in force on the day or which such thing or action was done or taken.

By the order of Governor of Bihar

Secretary
Education Department